कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,

उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

विषय : रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की दिनांक 23 जून, 2017 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

****

इस मुख्यालय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 23 जून, 2017 को श्री नीरज कुमार गायागी, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1.	श्रीमती कविता गर्ग, भा.र.ले.से. रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)	सदस्य
2.	श्री मुश्ताक अहमद, भा.र.ले.से. रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)	सदस्य
3.	श्री मनोज कुमार वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.4/7)	सदस्य
4.	श्री विश्वजीत गंडोत्रा वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.8/11)	सदस्य
5.	श्री राजू प्रसाद, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली)	सदस्य
6.	श्री वी.के.पुरोहित वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेप.)	सदस्य
7.	श्री उपेन्द्र कुमार वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेप.-समन्वय)	सदस्य
8.	श्रीमती सुनीता तिवारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आई.एफ.ए.)	सदस्य
9.	श्री प्रसेनजीत घोष रॉय लेखा अधिकारी (लेप.-5/पेंशन)	सदस्य
10.	श्रीनिवास शर्मा सहायक निदेशक (रा.भा.)	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थिति :

1. श्रीमती काकोली दत्ता, वरिष्ठ अनुवादक
2. श्री पंकज दलाल, कनिष्ठ अनुवादक
3. श्री रवि कुमार, कनिष्ठ अनुवादक
4. श्री संदीप बोस, कनिष्ठ अनुवादक

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने के उपरांत बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई। बैठक में निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया :-

मद सं.:1 दिनांक 30 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 05 अप्रैल, 2017 के पत्र सं. 55018/5/81/हि.क./रा.भा.का.स./मु.का./27 के अंतर्गत सभी संबंधितों की जानकारी एवं यथा अपेक्षित कार्रवाई हेतु रक्षा लेखा महानियंत्रक की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। किसी भी सदस्य से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त न होने पर समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई।

मद सं.: 2 पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई :

i) **'रक्षा लेखा भारती'** -

समिति को सूचित किया गया कि पत्रिका के लिए पर्याप्त संख्या में रचनाएं प्राप्त होने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पत्रिका प्रकाशन की मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है तथा प्राप्त रचनाओं को मुद्रक को सौंप जाएगा। हिंदी दिवस के अवसर पर "ई पत्रिका" के प्रकाशन की संभावना है।

समिति ने सुझाव दिया कि पत्रिका के प्रिंटिग के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि पत्रिका में किसी भी प्रकार की त्रुटियों की संभावना न रहे।

(कार्रवाई : हिंदी कक्ष (स्थानीय))

ii) **कोड/मैनुअल का हिंदी अनुवाद -**

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयानुसार केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से पत्राचार के साथ-साथ व्यक्तिगत संपर्क भी किया गया। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ने अवगत कराया है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की कार्यविधि संबंधी नियमपुस्तक का अनुवाद कार्य प्रगति पर है और विभिन्न प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक कार्यलयों से प्राप्त शेष 08 नियमपुस्तकों का अनुवाद कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से सभी नियमपुस्तकों का अनुवाद अग्रता के आधार पर करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि नियम पुस्तकों का शीघ्र अनुवाद कराने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के साथ कुछ-कुछ अंतराल के बाद पुनः पत्राचार एवं व्यक्तिगत संपर्क किया जाए।

(कार्रवाई : हिंदी कक्ष (स्थानीय))

मद सं : 3 दिसम्बर, 2016 तथा मार्च, 2017 की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा :

सदस्य सचिव ने दिसम्बर, 2016 तथा मार्च, 2017 तिमाहियों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रगति रिपोर्टों के आंकड़े प्रस्तुत किए तथा सूचित किया कि हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करने पर पाया गया कि रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि), मेरठ, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक नई दिल्ली, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (म.क.), लखनऊ, रक्षा लेखा नियंत्रक, (वा.से.), नई दिल्ली, रक्षा लेखा नियंत्रक (आई.डी.एस.), नई दिल्ली, रक्षा लेखा नियंत्रक, (सी.एस.डी),मुम्बई, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (द.क.), पुणे, र.ले.प्र.नि.(अ.), पुणे एवं रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु. एवं वि.), हैदराबाद कार्यालयों के हिन्दी पत्राचार में पिछली तिमाही के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि इस संबंध में संबंधित कार्यालयों को पत्र जारी कर दिया गया है।

समिति का यह भी मत था कि इस मुख्यालय कार्यालय में भी हिंदी पत्राचार का प्रतिशत और बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया 'संबंधित अनुभागों को मेरी ओर से पत्र लिखा जाए एवं हिंदी कक्ष द्वारा उन अनुभागों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाए।' इसके अतिरिक्त सभी प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि हिंदी में अधिकाधिक कार्य निष्पादित हो।

(कार्रवाई: सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि कार्यालय एवं मुख्यालय कार्यालय के सभी अनुभाग/हिंदी कक्ष)

मद सं.: 4 हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति :

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि मुख्यालय कार्यालय में 24 आशुलिपिक तथा 55 लिपिक (13 सीधी भर्ती द्वारा + 42 पदोन्नोति द्वारा) तैनात हैं जिनमें से 23 आशुलिपिकों तथा 24 हिंदी लिपिकों को क्रमशः हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण का ज्ञान प्राप्त है। शेष 01 आशुलिपिक को हिंदी आशुलिपि हेतु अगले सत्र में नामित किया जाएगा तथा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत एमटीएस से पदोन्नत हुए लिपिकों में से नामित 04 लिपिक हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें मुख्यालय के हिंदी कक्ष में प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं 01 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र के लिए 05 लिपिकों को हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है।

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से लिपिकों को प्रशिक्षण देने में बहुत सकरात्मक परिणाम मिले हैं।

समिति ने इस पर संतोष प्रकट किया और सुझाव दिया कि एक टाइपिंग सेल बनाया जाए जिसमें सभी प्रशिक्षित आशुलिपिकों/टंककों को प्रतिदिन दो-दो घंटें हिंदी टाइपिंग करने के लिए तैनात किया जाए और उनसे हिंदी टाइपिंग करवायी जाए ताकि उनका अभ्यास भी बना रहे एवं हिंदी पत्राचार में वृद्धि हो सके।

(कार्रवाई : हिंदी कक्ष (स्थानीय))

मद संख्या : 5 हिंदी कार्यशाला का आयोजन

सदस्य सचिव द्वारा समिति को सूचित किया गया कि

(1) दिनांक 15.05.2017 को मुख्यालय कार्यालय के नए भर्ती लेखापरीक्षकों के लिए यूनिकोड संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग करने का प्रशिक्षण दिया गया।

(2) अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गुरुग्राम द्वारा आयोजित कार्यशाला में मुख्यालय कार्यालय के सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं अनुवादकों द्वारा एकीकृत वित्तीय सलाहकार कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/लेखा अधिकारियों को संघ की राजभाषा नीति और नियम, सरकारी भाषा-हिंदी के कार्यन्वयन के संबंध में रिपोर्ट एवं विवरणी के संबंध में व्याख्यान देने के साथ-साथ यूनिकोड पर हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रक्रिया में कार्मिकों के उत्साहजनक परिणाम एवं उनकी उपयोगिता को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मुख्यालय के कार्मिकों के लिए भविष्य में इस तरह की यूनिकोड संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहें। इसके अतिरिक्त, ओटीसी, गुरुग्राम में आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ½ अथवा 1 दिन की यूनिकोड से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाए ताकि कार्यशाला में विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालय से आए अधिकारी एवं कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकें।

(कार्रवाई : हिंदी कक्ष(स्थानीय)/ओ.टी.सी. गुरुग्राम)

(3) राजभाषा नीति के अनुपालन में गति लाने के लिए जुलाई माह से मुख्यालय कार्यालय में एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/व्यावहारिक ज्ञान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें विभाग में तैनात अनुवादकों को क्रम से दो-दो के समूह में 10 कार्यदिनों के लिए मुख्यालय के हिंदी कक्ष में यूनिकोड, संसदीय राजभाषा निरीक्षण प्रश्नावली, अनुवाद प्रक्रिया, तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा, बैठकों के कार्यवृत्त, सरकार की राजभाषा नीति इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि वे पुनः अपने कार्यालयों में जाकर अपनी ड्यूटी का सही तरीके से निर्वहन कर सकें।

मद संख्या : 6 रक्षा लेखा विभाग में हिंदी पदों की स्थिति :

वर्तमान में विभाग में हिंदी संवर्गीय प्राधिकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :

	स्वीकृत पद	**भरे गए पद**	**रिक्त पद**
सहायक निदेशक(राजभाषा)	37	13	24
वरिष्ठ अनुवादक	35	35	-
कनिष्ठ अनुवादक	70	56	14

संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा प्रेषित अर्धशासकीय पत्र के संबंध में सदस्य सचिव ने सूचित किया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों में हिंदी संवर्गीय पदों को भरने के संबंध में सूचनाएं मांगी जाती हैं। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालयों की संख्याशक्ति को देखते हुए हरेक ऐसे कार्यालय में सहायक निदेशक के पद का सृजन किया गया है। इनमें से 24 सहायक निदेशक के पद रिक्त है एवं इस संबंध में कार्रवाई की जाए।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रशासन अनुभाग ने समिति को सूचित किया कि अपर वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त) को अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि प्रशासन अनुभाग द्वारा सहायक निदेशक (राजभाषा) के भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय ने संबंधित प्रशासन अनुभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि एतद् संबंधी मामले पर निगरानी रखें।

(कार्रवाई : प्रशा-2/प्रशा-8(स्थानीय))

मद संख्या : 7 रक्षा लेखा विभाग में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण :

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि

(1) प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष अर्थात् 2017-18 में भी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित 25% लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात कुल 08 कार्यालयों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी नियंत्रक कार्यालयों को वर्ष 2017-18 के राजभाषा संबंधी निरीक्षण कार्यक्रम भेजने के निदेश दिए गए थे और अनुरोध किया गया था कि इस कार्यक्रम में उन कार्यालयों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए जिनका पिछले 04 वर्षों में निरीक्षण नहीं किया गया है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालयों से 2017-18 के राजभाषा संबंधी निरीक्षण कार्यक्रम प्राप्त हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि मुख्यालय के हिंदी कक्ष द्वारा अधिक से अधिक अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाए।

(कार्रवाई: सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि कार्यालय एवं मुख्यालय हिंदी कक्ष)

मद संख्या : 8 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण :

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस वर्ष निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को किया गया :

क्र.सं	कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तारीख	अभ्युक्ति
1.	लेखा कार्यालय, सहायक दुर्ग अभियंता, मनाली	15.06.2016	संबंधित कार्यालय से प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के उपरांत सचिवालय भेजने हेतु मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई है।
2.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, 'जी' ब्लॉक, नई दिल्ली	17.06.2016	
3.	वेतन लेखा कार्यालय(अ.श्रे.), जी.आर.सी., लैंसडाउन	22.10.2016	निरीक्षण के दौरान उक्त कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों द्वारा दिए गए आश्वासनों की सूची प्राप्त हो गई हैं। संबंधित कार्यालयों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु आश्वासन भेज दिए गए हैं। उनसे अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना प्राप्त होने पर इसे समीक्षा के उपरांत समिति सचिवालय को भेजने हेतु मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।
4.	वेतन लेखा कार्यालय(अ.श्रे.) के.आर.सी., रानीखेत	24.10.2016	
5.	लेखा कार्यालय (नौ सेना), गोवा	31.12.2016	
6.	स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी (सेना), औरंगाबाद	19.01.2017	संबंधित कार्यालय से प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के उपरांत सचिवालय भेजने हेतु मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई है।
7.	रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना), मेरठ	01.03.2017	इस कार्यालय से अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसे समीक्षा के उपरांत संबंधित कार्यालय को वापस भेज दिया गया है ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा सके।
8.	लेखा कार्यालय, सहायक दुर्ग अभियंता, मनाली	03.03.2017	संबंधित कार्यालय से प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के उपरांत सचिवालय भेजने हेतु मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई है।
9.	रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय, श्रीनगर	11.05.2017	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उक्त कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान कार्यालय प्रमुख द्वारा समिति को दिए गए आश्वासनों की सूची अभी प्रतीक्षित है। सूची प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
10.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (सी.स.), दिल्ली छावनी	17.05..2017	

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान कार्यालय प्रमुखों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाए।

(कार्रवाई: सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि कार्यालय एवं हिंदी कक्ष)

मद संख्या : 9 मंत्रालय के महत्वपूर्ण पत्रों पर चर्चा।

सदस्य सचिव ने मंत्रालय से प्राप्त पत्र के बारे में सूचित किया कि

(1) संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 11 मई, 2017 को रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (सी.स.), दिल्ली छावनी का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया था। समिति एक वर्ष तक उक्त कार्यालय के राजभाषा संबंधी कार्य की निगरानी करेगी।
इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि संबंधित कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएं।

(कार्रवाई : हिंदी कक्ष एवं संबंधित रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक)

(2) संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा प्रेषित अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत सूचित किया गया है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान 'अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना', 'रजिस्टरों व सेवा-पुस्तिकाओं के शीर्षक एवं प्रविष्टियां' एवं 'कार्यशालाओं का आयोजन' की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अतः उक्त आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए जाएं।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि इस संबंध में उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालयों को रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक की ओर से पत्र जारी कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने समय-समय पर उक्त बातों की मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई: सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि कार्यालय एवं हिंदी कक्ष)

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।

(श्रीनिवास शर्मा)
सहायक निदेशक (राजभाषा) सह सदस्य सचिव